न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय जयपुर

पीठासीन अधिकारी :श्रीमति मनीषालेघा (आर.ए.एस)

वाद सं. : 50/2019 **निर्णय दिनांक 10.03.2021**

1. सुलेमान पुत्र स्व. भागीरथ खां
2. शरीफ पुत्र स्व. भागीरथ खां

समस्त जाति मुस्लिम, निवासीगण ग्राम आछोजाई, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

—वादीगण

बनाम

1. सिणगारी देवी पत्नी रामजीवन यादव

जाति अहीर, निवासी 218, बोहरावाली ढाणी, ग्राम हाथोद, तहसील व जिला जयपुर।

2. अर्जुन पुत्र स्व. जयराम
3. नंदकिशोर पुत्र स्व. जयराम

समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम मोहनपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

4. बाली देवी पत्नी भोजराज सिंह जाति जाट

निवासी ग्राम रामसिंहपुरा उर्फ घोलाई, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

5. सद्दीक पुत्र स्व. भागीरथ खां
6. हकीम पुत्र स्व. भागीरथ खां

समस्त जाति मुस्लिम, निवासी ग्राम आछोजाई, तहसील आमेर जिला जयपुर।

—प्रतिवादीगण

7. जयपुर थार ग्रामीण बैंक, शाखा जयरामपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
8. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार आमेर, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
9. उप—पंजीयक आमेर, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

—प्रारूपिक प्रतिवादीगण

<u>वाद बाबत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा</u>

<u>प्रार्थना पत्र :— बाबत वाद पत्र खारिज किये जाने</u>

उपस्थितः— अधिवक्ता प्रार्थी श्री रामजीलाल चौधरी

उपस्थितः— अधिवक्ता अप्रार्थी श्री संदीप शर्मा

निर्णय

Signature Not Verified
Digitally signed by Manisha Legha
Date: 2021.03.26 13:26:08 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी वादीगण द्वारा विभाजन हेतु प्रस्तुत इस वाद की वादग्रस्त भूमि आराजी खसरा नं. 80/652, 81, 84, 85, 86, 90/2 कुल खसरा किता 6 कुल रकबा 2.63 है. के खाता सं. 179 का एवं अन्य वादग्रस्त भूमि आ.ख.नं. 82 रकबा 0.95 है. के

खाता सं. 178 का तथा अन्य वादग्रस्त भूमि आ.ख.नं. 83 रकबा 3.25 है. के खाता सं. 177 वाकै ग्राम चतरपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर का पूर्व में ही विभाजन हो जाने के कारण वाद आधारहीन, सारहीन होने के कारण खारिज किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अधिवक्ता प्रार्थी प्रतिवादीगण 2, 3, 4 द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया है कि अप्रार्थी वादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि में अपने सम्पूर्ण हिस्से को पूर्व में ही जरिये 5 विभिन्न रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों दिनांक 12.12.2014, 12.12.2014, 15.10.2015, 15.10.2015 तथा 04.01.2016 के प्रतिवादी सं. 1 व अन्य के हक में विक्रय किया जा चुका है। जिसके क्रम में विक्रय का नामान्तरण भी स्वीकार होकर वादग्रस्त भूमि सम्पूर्ण का नवीन खाते के रूप में राजस्व रिकार्ड में भी इन्द्राज किया जा चुका है। जिससे अब हस्तगत वाद का कोई औचित्य शेष नही है तथा भूमि वादग्रस्त में अप्रार्थी वादीगण का कोई हक, अधिकार व हित शेष नही है। अतः वाद वादीगण खारिज फरमाया जावें।

अप्रार्थी वादी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नही किया गया तथा ना ही अपनी बहस में प्रार्थी प्रतिवादीगण के तथ्यों का कोई समुचित खण्डन किया गया है तथा प्रार्थी प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रार्थीगण के तथ्यों तथा वाद अधीन भूमि का पूर्व में ही विभाजन हो जाने की प्रबल पुष्टि करते है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत विक्रय पत्रों दिनांक 12.12.2014, 12.12.2014, 15.10.2015, 15.10.2015 तथा 04.01.2016 तथा प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत 2073–76 दिनांक 13.02.2021 (खाता सं. 116, 213) के दृष्टिगत तथा वाद अधीन भूमि का पूर्व में ही विभाजन होकर रिकार्ड में इन्द्राज होने के आधार पर विभाजन हेतु प्रस्तुत हस्तगत वाद वादीगण पोषणीय नही होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Manisha Legha
Date: 2021.03.26 13:26:08 IST
Reason: SelfAttested